न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 190 / 2023

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1. पोकराराम पुत्र खेराजराम 2. रामाराम पुत्र खेराजराम जातियान जाट निवासीयान मेगवालों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. आसुराम पुत्र खंगाराराम 2. जोगाराम पुत्र खंगाराराम 3. बगाराम पुत्र पदमाराम 4. दोलाराम पत्रु लिछ्मणाराम 5. धनाराम पुत्र लिछ्मणाराम 6. जोराराम पुत्र लिछ्मणाराम 7. मगाराम पुत्र लिछ्मणाराम 8. गेनाराम पुत्र आम्बाराम 9. पुरखाराम गोदपुत्र पुनमाराम जातियान राईका निवासीयान सडा झुण्ड तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 10. भैराराम पुत्र वीरमाराम 11. घमण्डाराम पुत्र लाधाराम 12. दुदाराम पुत्र लाधाराम 13. गंगाराम पुत्र हरदानराम 14. अणदाराम पुत्र हरदानराम 15. हड़मानराम पुत्र हरदानराम 16. राउराम पुत्र हरदानराम 17. देवाराम पत्रु हरदानराम 18. गोमाराम पुत्र मगाराम 19. बाबूराम पुत्र मगाराम जातियान जाट निवासीयान भूकरो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 20. जोधाराम पुत्र मालाराम 21. [illegible] 22. पुरखा[illegible]ाराम 23. [illegible] 24. [illegible] 25. हुकमाराम [illegible] अचलाराम 26. जगराम पुत्र [illegible]लाराम 27. करनाराम पुत्र गोमाराम 28. जेठाराम पुत्र गोमाराम 29. ठाकराराम पुत्र गोमाराम 30. खेमाराम पुत्र चेनाराम 31. भंवराराम पुत्र चेनाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

32. हनुमानराम पुत्र चेनाराम
33. प्रभूराम पुत्र ताजाराम
34. बाबूराम पुत्र ताजाराम जातियान जाट निवासी सडा झुण्ड तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
35. भैराराम पुत्र लिछमाराम मेगवाल निवासी मेगवालों की ढाणी
36. घमडाराम पुत्र हरजीराम
37. ताजाराम पुत्र हरजीराम
38. पूनमाराम पुत्र हरजीराम
39. हेमीदेवी पत्नि डालूराम
40. किरताराम पुत्र उदाराम
41. चुनाराम पुत्र उदाराम
42. चिमाराम पुत्र उदाराम
43. मेहराराम पुत्र उदाराम
44. चरणसिंह पुत्र टीकमाराम
45. मगाराम पुत्र जीयाराम जायितान निवासीयान मेगवालों की ढाणी तहसील सिणधरी
46. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 20 से 26 उपस्थित।
3. शेष विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:22 IST
Reason: SelfAttested

[illegible].01.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की [illegible] मौजा सड़ा झुण्ड खसरा नम्बर 42 रकबा 31.2436 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र सडा व मौजा [illegible]वालों की ढाणी खसरा नम्बर 235, 431/235 रकबा 6.3102, 6.4316 हैक्टेयर पटवार हल्का नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा सड़ा झुण्ड खसरा नम्बर 42 रकबा 31.2436 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र सडा व मौजा मेगवालों की ढाणी खसरा नम्बर 235, 431/235 रकबा 6.3102, 6.4316 हैक्टेयर पटवार हल्का नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 20 से 26 की तरफ से वकील उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्राथीगर्ण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा सड़ा झुण्ड खसरा नम्बर 42 रकबा 31.2436 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र सडा व मौजा मेगवालों की ढाणी खसरा नम्बर 235, 431/235 रकबा 6.3102, 6.4316 हैक्टेयर पटवार हल्का नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा सड़ा झुण्ड खसरा नम्बर 42 रकबा 31.2436 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र सडा व मौजा मेगवालों की ढाणी खसरा नम्बर 235, 431/235 रकबा 6.3102, 6.4316 हैक्टेयर पटवार हल्का नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्राथीगर्ण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा सड़ा झुण्ड खसरा नम्बर 42 रकबा 31.2436 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र सडा व मौजा मेगवालों की ढाणी खसरा नम्बर 235, 431/235 रकबा 6.3102, 6.4316 हैक्टेयर पटवार हल्का नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:22 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सड़ा झुण्ड खसरा नम्बर 42 रकबा 31.2436 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र सड़ा व मौजा मेगवालों की ढाणी खसरा नम्बर 235, 431/235 रकबा 6.3102, 6.4316 हैक्टेयर पटवार हल्का नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 23.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:22 IST
Reason: SelfAttested